रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072022-237287
CG-DL-E-14072022-237287

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504]	नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 2022/आषाढ़ 22, 1944
No. 504]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 2022/ASHADHA 22, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 10/2022- केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 562(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 11 की उप-धारा (1) और धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2022-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.नि. 237(अ), दिनांक 31 मार्च, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " फ्लाई ऐश ईंटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 10/2022-Central Tax (Rate)

G.S.R. 562(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 02/2022-Central Tax (Rate), dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 237(E)., dated the 31st March, 2022, namely: -

In the said notification, in Table, against Sl. No. 1, for the entry in column (3), the entry "Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th July, 2022.

[F. No.190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 10/2022- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 563(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 16 की उप-धारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 20 के खंड (iv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2022- एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.नि. 239(अ), दिनांक 31 मार्च, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " फ्लाई ऐश ईंटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 10/2022- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 563(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 and clause (iv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 02/2022-Intergated Tax (Rate), dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 239(E)., dated the 31st March, 2022, namely: -

In the said notification, in Table, against Sl. No. 1, for the entry in column (3), the entry "Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[F. No.190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 10/2022- संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 564(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 16 की उप-धारा (1) के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 8 की उप-धारा (1) और धारा 21 के खंड (v) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2022- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.नि. 241(अ), दिनांक 31 मार्च, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " फ्लाई ऐश ईंटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 10/2022- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 564(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 and clause (v) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 02/2022-Union Territory Tax (Rate), dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 241(E)., dated the 31st March, 2022, namely: -

In the said notification, in Table, against Sl. No. 1, for the entry in column (3), the entry “Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[F. No.190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 11/2022- केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 565(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 45/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 14 नवंबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1391 (अ), दिनांक 14 नवंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है ।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 11/2022-Central Tax (Rate)

G.S.R. 565(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 45/2017-Central Tax (Rate),dated the 14th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.1391(E), dated the 14th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[F. No.190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 11/2022- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 566(अ).— एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 47/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 14 नवंबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1396 (अ), दिनांक 14 नवंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है ।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 11/2022- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 566(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 47/2017-Integrated Tax (Rate),dated the 14th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.1396(E), dated the 14th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[F. No.190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 11/2022- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 567(अ).—संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 45/2017-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 14 नवंबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1401 (अ), दिनांक 14 नवंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 11/2022- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 567(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 45/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 14th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.1401(E), dated the 14th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[F. No.190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 15/2022-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 568(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 7 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 190 (अ), दिनांक 7 मार्च, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक 4 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " फ्लाई ऐश ईंटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 10/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 7 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 190 (अ), दिनांक 7 मार्च, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.नि. 242(अ), दिनांक 31 मार्च, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 15/2022-Central Tax

G.S.R. 568(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2019-Central Tax, dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 190(E), dated the 7th March, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 4, for the entry in column (3), the entry "Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th July, 2022.

[F. No.190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: The principal notification No. 10/2019-Central Tax, dated the 7th March, 2019, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 190(E), dated the 7th March, 2019 and was last amended by notification No. 03/2022 – Central Tax, dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 242(E), dated the 31st March, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 16/2022-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 569(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 10 की उप-धारा (1) के परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 7 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 196 (अ), दिनांक 7 मार्च, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक 4 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " फ्लाई ऐश ईंटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 14/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 7 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 196 (अ), दिनांक 7 मार्च, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.नि. 243(अ), दिनांक 31 मार्च, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 16/2022-Central Tax

G.S.R. 569(E).—In exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (1) of section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 14/2019-Central Tax, dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 196(E)., dated the 7th March, 2019, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against serial number 4, for the entry in column (3), the entry "Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th July, 2022.

[F. No.190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 14/2019-Central Tax, dated the 7th March, 2019, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 196(E), dated the 7th March, 2019, and was last amended by notification No. 04/2022 – Central Tax, dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 243(E), dated the 31st March, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 03/2022- संघ राज्य कर

सा.का.नि. 570(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 23 की उप-धारा (2) के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 21 के खंड (vi) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2019- संघ राज्य कर, दिनांक 7 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 192 (अ), दिनांक 7 मार्च, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक 4 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " फ्लाई ऐश ईंटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 02/2019- संघ राज्य कर, दिनांक 7 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 192(अ), दिनांक 7 मार्च, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2022- संघ राज्य कर, दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.नि. 244(अ), दिनांक 31 मार्च, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 03/2022-Union Territory Tax

G.S.R. 570(E).—In exercise of the powers conferred by clause (vi) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 02/2019-Union Territory Tax, dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 192(E), dated the 7th March, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 4, for the entry in column (3), the entry "Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks" shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[F. No.190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

The principal notification No. 02/2019-Union Territory Tax, dated the 7th March, 2019, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 192(E), dated the 7th March, 2019 and was last amended by notification No. 01/2022 –Union Territory Tax, dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 244(E), dated the 31st March, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 04/2022- संघ राज्य कर

सा.का.नि. 571(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 10 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 21 तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2017- संघ राज्य कर, दिनांक 27 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 648 (अ), दिनांक 27 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 4 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " फ्लाई ऐश ईंटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 02/2017- संघ राज्य कर, दिनांक 27 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 648 (अ), दिनांक 27 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2022- संघ राज्य कर, दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.नि. 245(अ), दिनांक 31 मार्च, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 04/2022-Union Territory Tax

G.S.R. 571(E).—In exercise of the powers conferred under the sub-section (1) and sub-section (2) of section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), read with section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017(14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.02/2017-Union Territory Tax, dated the 27th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 648(E), dated the 27th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 4, for the entry in column (3), the entry “Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks” shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 18th July, 2022.

[F. No.190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 02/2017-Union Territory Tax, dated the 27th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 648(E), dated the 27th June, 2017, and was last amended by notification No. 02/2022 –Union Territory Tax, dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 245(E), dated the 31st March, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 40/2022- सीमा शुल्क

सा.का.नि. 572(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

क. सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 213 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“213क	30	डाई-इथाइलकार्बामाज़िन (डीईसी) टैबलेट्स	-	शून्य	113”

(i) क्रम संख्या के 404 के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "12%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ख. संख्या 112 के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

113.	यदि आयातकर्ता उप आयुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसा भी स्थिति हो, को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कम से कम उप सचिव स्तर के किसी अधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हो कि उक्त माल की राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम या अन्य केन्द्रीय प्रायोजित फाइलेरियासिस् कार्यक्रम के लिए माल की मुफ्त आपूर्ति की जानी है।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी ।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 39/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 12 जुलाई, 2022, जिसे सा.का.नि. 539 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 40/2022-Customs

G.S.R. 572(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3, of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely :-

In the said notification,

A. in the Table, -

(i) after for serial number 213 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"213A	30	Diethylcarbamazine (DEC) tablets	-	NIL	113"

(ii) against S. No. 404, for the entry in column (5), the entry "12%" shall be substituted;

B. In the Annexure, after entry No. 112, the following shall be inserted, namely –

113.	If the importer furnishes a certificate to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare certifying that the goods are to be supplied free of cost for the National Filaria Control Programme or other Centrally sponsored programme against Filariasis.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[F. No.190354/172/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30thday of June, 2017 and last amended *vide* notification No. 39/2022-Customs, dated the 12th July, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 539(E), dated the 12th July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 41/2022- सीमा शुल्क

सा.का.नि. 573(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 19/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2019, जिसे सा.का.नि. 476 (अ), दिनांक 6 जुलाई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में, "रक्षा मंत्रालय या रक्षा बल या रक्षा पब्लिक सेक्टर यूनिटो पब्लिक सेक्टर या यूनिटो," शब्दों के स्थान पर, शब्द " रक्षा मंत्रालय या रक्षा बल या रक्षा पब्लिक सेक्टर यूनिटो पब्लिक सेक्टर या यूनिटो, या अन्य कोई यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी ।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 19/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2019, को सा.का.नि. 476 (अ), दिनांक 6 जुलाई, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 57/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 29 दिसंबर 2021, जिसे सा.का.नि. 906 (अ), दिनांक 29 दिसंबर 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 41/2022-Customs

G.S.R. 573(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3, of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 19/2019- Customs, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 476 (E), dated the 6th July, 2019, namely:-

In the said notification, in the opening paragraph, for the words "Ministry of Defence or the Defence forces, or the Defence Public Sector Units or other Public Sector Units", the words "Ministry of Defence or the Defence forces, or the Defence Public Sector Units or other Public Sector Units or any other entity" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[F. No.190354/172/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: The principal notification No. 19/2019-Customs dated the 6th July, 2019, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 476 (E), dated the 6th July, 2019, and was last amended by notification No. 57/2021-Customs, dated 29th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 906 (E), dated the 29th December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 42/2022- सीमा शुल्क

सा.का.नि. 574(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996, जिसे सा.का.नि. 303(अ), दिनांक 23 जुलाई, 1996 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड(i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और भी आगे संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, प्रस्तावना में, "और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम" से आरम्भ होने वाले तथा "एकीकृत कर से" पर अंत होने वाले शब्दों, अंक और कोष्ठक का लोप किया जायेगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996 को सा.का.नि. 303(अ), दिनांक 23 जुलाई, 1996 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 43/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, सा.का.नि. 778 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 42/2022-Customs

G.S.R. 574(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3, of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 51/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 303(E), dated the 23rd July, 1996, namely :-

In the said notification, the words, brackets and figures, "and from the whole of integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the said Customs Tariff Act", shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[F. No. 190354/172/2022-TRU]
NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: The principal notification No. 51/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 303(E), dated the 23rd July, 1996, and was last amended by notification No. 43/2017-Customs, dated 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 778 (E), dated the 30th June, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM